

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/4/26 पत्रावली पेश हुई | समस्त विपक्षीगणों  
की वाद तामील प्राप्त हुई, जिसे  
संबन्ध पत्रावली किया गया | समस्त  
विपक्षीगणों को 3-वार आवाज लगाई  
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ |  
समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय  
आदेश पारित किए गए | पत्रावली में  
आदेश पारित किए गए | पत्रावली में  
आदेश मातनार्थ तहसीलदार विजोलिया  
को लिखा जावे | पत्रावली नम्बर से  
कम होकर दाखिल दफ्तर हो |



उप खण्ड अधिकारी  
विजोलिया जिला-भिलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 70/26 पत्थरगढी

तारीख दायर - 8/4/26  
तारीख निर्णय - 30/4/26

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 70/26.....पत्थरगढी बाबत।

1. घीसीलाल पुत्र श्री गनेश जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) .....प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री शंकर जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. बरदीचन्द पुत्र श्री नन्दा जी जाति खाती उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
3. विकास पंचायत गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
4. भू-स्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 700/646 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उम्र जी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 70/26 पत्थरगढी

तारीख दायर - 18/4/26

1. घीसीलाल पुत्र श्री गनेश जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) .....प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री शंकर जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)  
2. बरदीचन्द पुत्र श्री नन्दा जी जाति खाती उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)  
3. विकास पंचायत गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)  
4. भू-स्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)  
.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:--आदेश:-

दिनांक 30/04/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी घीसीलाल बलाई ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश धाकड ने प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल खाते कि भुमि मौजा ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 700/646 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 700/646 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया